

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज०)

न्यायालय उप

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम के हुकम की को में जारी है
25.7.23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान रूप ही पत्रावली वाले बहल अन्तिम हेतु दिनांक 10-8.23 को पेश हो।	
10.8.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीतलसोन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य शक्यता में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 8.9.23 को पेश हो।	
8.9.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीतलसोन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 9.9.23 को पेश हो।	
9.9.23	<p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आज पेश हुई राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आयोजित पी-कार्डसलिंग शिविर दिनांक 3.9.23 में प्रार्थिया उपस्थित हुई। प्रार्थिया ने अपने प्रा पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमान हेतु निवेदन किया।</p> <p>प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां ने रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार मौके पर जहां पर वर्तमान में खातेदार जहुरन बानों की तरमीम है वहां कब्जा नहीं है तथा जहां पर खातेदार का कब्जा है वह भूमि वर्तमान में सरकारी है अतः प्रार्थी खातेदार की तरमीम कब्जा अनुसार नहीं होकर</p>	

राजो

नम्बर व
संख्या
म
वारी


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राजो)

हुक्म कार्यवाही मय प्रतिशिक्षण जमा

नाम व तारीख
लाभकार जो इस
हुक्म की लागू
में जारी हुए


गलत हो गई है, जिससे मैंने पर-
तिताड की अपेक्षा ही यह हुक्म
द्वारा संलग्न प्रस्तावित नक्शे के अनुसार
खसरा नंबर 3825/58 की तरमीम
कब्जा मुताबिक प्रस्तावित की गई है।
तहसीलदार नैनवां के अनुसार प्रस्तावित
नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्ध किए
जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

इसने प्राप्ति पत्र, शपथ पत्र,
प्रस्तुत रिपोर्ट दस्तावेज एवं तहसीलदार
नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित जमीन
ने तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में प्रस्तावित
कब्जा अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने
में सहमति व्यक्त की। प्राप्ति पत्र
पत्र अन्तर्गत द्वारा 136 LR एवं रसीद
किया जाता है ग्राम बांसी के खता
संख्या 214 के खसरा संख्या 3825
शुद्ध 0.3236 हेक्टेयर भूमि की
तरमीम प्रस्तावित तरमीम (कब्जे अनुसार)
संशोधित किये जाने के आदेश किये
जाते हैं। प्रस्तावित तरमीम के नक्शा
परिशिष्ट को परिशिष्ट "क" नाम दिया
गया है जो इस निर्णय का अभिन्न
अंग होगा। निर्णय शुद्ध राष्ट्रीय लोक
अदालत केम्व में सुनाया गया। पत्रावली
बाद तत्काल कार्रवाई कएतर है।


राज्य
राज्य
9/9/20 जिला बून्दी (राजो)

आंशिक नकली जबशा हेत

प्रातः = बांगी परिशिष्ट - "क"
पत्ता नं. = बांगी
नक्का = नक्का ठिका बुन्दी (राज.)



रकम $\frac{3825}{58}$ की रकम मध्ये
उत्पादित तक्कीम
(कज्जे भुसाद)

P-35 ककाल
34
01/05/23

अध्यक्ष
सेवक
तालुका विधिक सेवा समिति नैनवाँ
जिला बुन्दी (राज०)

पटवारी
पो म०...
तह० नैनवाँ (बुन्दी)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांक:- रीडर/20.22/ 277

दिनांक:- 11.9.23

प्रेषित:-

तहसीलदार
नैनवां।

विषय:- न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या..... 295/घणपत्र/2022

बउनवान..... ज.हरन बानो बनाम..... श्री स्वामी गडर

निर्णय दिनांक..... 9-9-23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्न:- उक्तानुसार।


उपखण्ड अधिकारी
नैनवां